[2022] 19 एस. सी. आर 781

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। ईटीसी

वी.

उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी।

ईटीसी।

(2021 की सिविल अपील Nos.2407-2412)

21 अक्टूबर, 2022

[बी. आर. गवई और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010: एसएस। 19 (1) , 20 , 22 - वुड [2022] 19 एस. सी. आर.

उद्योग आधारित [स्थापना और विनियमन] दिशानिर्देश 2016-सतत विकास की आवश्यकता-अनंतिम लाइसेंस-जारी करना, लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए-डब्ल्यू. बी. आई.-वन के बाहर पेड़ों के लिए लकड़ी का मूल्यांकन-यू. पी. राज्य में डब्ल्यू. बी. आई. एस. के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण-एफ. एस. आई.-ई.-लॉटरी द्वारा विभिन्न डब्ल्यू. बी. आई. को लाइसेंस देने और उन्हें अनंतिम लाइसेंस जारी करने के लिए आयोजित किया जाता है।

1215 8 श्रेणियों में सफल आवेदक अपना डब्ल्यू. बी. आई. एस. स्थापित करेंगे इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोटिस जारी किया गया

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और नए डब्ल्यू. बी. आई.-एन. जी. टी. की स्थापना के संबंध में अपने नोटिस की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को दिए गए निर्देश को चुनौती देते हुए, इसे डब्ल्यू. बी. आई. को सूचित करते हुए, फिर राज्य सरकार द्वारा नए डब्ल्यू. बी. आई. और दिए गए सभी अस्थायी लाइसेंसों की स्थापना के लिए जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया गया और रद्द कर दिया गया-एन. जी. टी. ने कहा कि डब्ल्यू. बी. आई. को केवल लकड़ी और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही काम करने की अनुमति दी जा सकती है।

ऐसे उद्योगों को बनाए रखना और यह वास्तविक रूप से निर्धारित किया जाना था न कि केवल धारणाओं पर-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एफ. एस. आई. द्वारा किया गया अनुमान एक उचित और पर्याप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू करके था।

विधि-न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में हो-देश के वनों की रक्षा करना राज्य के साथ-साथ उसके नागरिकों का कर्तव्य-प्रशासनिक कार्यों में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है जब इस तरह के कार्यों से नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है-इसके अलावा, इससे पहले कि एक वादी को न्याय के दरवाजे खटखटाने और ऐसे आदेशों की मांग करने की अनुमति दी जाए जो राज्य में निवेश रोकने वाले हजारों लोगों के रोजगार को प्रभावित करने के दूरगामी प्रभाव डालते हैं, किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; आवेदकों की साख का परीक्षण

किया जाना चाहिए-पर्यावरण की रक्षा करते हुए, सतत विकास की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और एक उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा-राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के कारण, लाइसेंस देने की मंजूरी जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, एक जिम्मेदार राज्य के रूप में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विधिवत ध्यान दिया जाए-इस प्रकार, राज्य सरकार ने निर्देश दिया

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निषिद्ध प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय, यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुमति केवल तभी दी जाए जब 7 जनवरी 2020 की अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों-एनजीटी के विवादित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं और इसलिए, रद्द कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 इस न्यायालय ने सी. ई. सी. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था जिसमें सी. ई. सी. ने कुल उपलब्धता की गणना की थी

और निषिद्ध श्रेणी से लकड़ी की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा था। यहां तक कि आईपीआईआरटीआई के आकलन के अनुसार, एक प्लाईवुड इकाई की लकड़ी की आवश्यकता है

इस आधार पर 'एन. आई. एल.' के रूप में लिया जाना आवश्यक है कि गोल लकड़ी का उपयोग केवल लिबास इकाइयों में लकड़ी के रूप में किया जाता है और प्लाईवुड इकाइयाँ गौण उपयोगकर्ता हैं जो लिबास का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। [पैरा 49 और 59] [797-डी; 801-डी-ई]

1.2 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में एस. एल. सी. का पुनर्गठन किया गया था। अधिमानतः प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से अध्ययन शुरू करके, पांच वर्षों में एक बार। 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफ. एस. आई. ने सर्वेक्षण किया और

मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सर्वेक्षण के संचालन के लिए, एफ. एस. आई. ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के आविष्कार किए गए जिलों के लिए उपग्रह डेटा प्राप्त किया। वैज्ञानिक पद्धति का पूरा खेल लागू किया गया था। एफ. एस. आई. ने उत्तर प्रदेश राज्य को 9 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था। बढ़ते स्टॉक और वार्षिक संभावित उत्पादन का अनुमान लगाना। उत्तरदाताओं का यह तर्क कि आवर्तन विधि लागू नहीं की गई थी, पूरी तरह से गलत है। [पैरा 64-67] [803-GH; 804-A, F; 805-B-C]

1.3 एफ. एस. आई. द्वारा किया गया अनुमान एक उचित आवेदन करके किया गया था

और पर्याप्त वैज्ञानिक विधि। हालाँकि, यह आश्चर्य की बात है कि विद्वान एनजीटी ने इस तरह के वैज्ञानिक अभ्यास को दरकिनार कर दिया है।

ए स्टेट ऑफ यू. पी. एंड ओ. आर. एस. ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी।

श्रेणी। हालाँकि, ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है [पैरा 76] [808-ई-एफ] 2.2 यह तय किया गया है कि न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में हो। एफ. एस. आई., जो निर्विवाद रूप से एक विशेषज्ञ निकाय है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपने अनुमान पर पहुंचा था। एन. जी. टी. इस रुख पर विचार करने में विफल रहा है कि

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी., जिसने राज्य के इस रुख का भी समर्थन किया कि नए डब्ल्यू. बी. आई. एस. को चलाने के लिए कानूनी रूप से पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध थी। [पैरा 79,81] [809-डी-ई; 810-ए]

आईपीआईआरटीआई की रिपोर्ट के आधार पर डब्ल्यूबीआईएस द्वारा लकड़ी की खपत के लिए स्वयं दिए गए दिशानिर्देश, फिर से कोई उद्देश्य नहीं था आई. पी. आई. आर. टी. आई. द्वारा मूल्यांकन करवाएँ। टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ [1994] 6 एस. सी. सी. 651 के मामले में इस अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे को संक्षेप में समझाया गया है। [पैरा 83] [810-एफ-जी]

3.1 देश के वनों की रक्षा करना राज्य के साथ-साथ उसके नागरिकों का भी कर्तव्य है। वर्तमान के संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना है। लेकिन एक सिद्धांत को दूसरे से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता है। जबकि

पर्यावरण की रक्षा, टिकाऊ [2022] 19 एस. सी. आर. की आवश्यकता।

3.2 इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि यदि नए डब्ल्यूबीआई की अनुमति दी जाती है, तो यह डब्ल्यूबीआई के उत्पादों के आयात को कम कर देगा। लेकिन ये सब विद्वान एन. जी. टी. द्वारा पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। अदालत का मानना है कि एनजीटी ने एकतरफा रुख अपनाया है। यह राज्य द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखने में विफल रहा है। एनजीटी ने विशेषज्ञ की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने और उसी पर अपील करने में पेटेंट त्रुटि की है। एन. जी. टी. एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखने में भी विफल रहा है, जिसने राज्य के रुख का समर्थन किया। विद्वान एन. जी. टी. के विवादित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं। [पैरा 91 और 94] [813-एफ; 814-ई-जी]

3.3 जिस तारीख को समीक्षा आवेदन किए गए थे

अस्वीकार कर दिया गया, 1215 अस्थायी लाइसेंस पहले ही दिए जा चुके थे और 633 इकाइयों को पहले ही स्थापित किया जा चुका था और उत्पादन शुरू कर दिया गया था, एनजीटी ने विवादित आदेश पारित किया है जो उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह एक स्थापित कानून से कहीं अधिक है कि प्रशासनिक कार्यों में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है।

जब इस तरह के कार्यों से नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब विद्वान एनजीटी ने अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया, तो वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकता था, जो एनजीटी अधिनियम की धारा 19 [1] के तहत भी पालन करने के लिए बाध्य है। [पैरा 95] [815 ए-सी]

3.4 इस अदालत ने पाया कि इससे पहले कि एक वादी को अनुमति दी जाए

न्याय के दरवाजे खटखटाओ और ऐसे आदेशों की मांग करो जिनके हजारों लोगों के रोजगार को प्रभावित करने के दूरगामी प्रभाव हों,

राज्य में निवेश को रोकना, किसानों के हितों को पूर्वाग्रहित करना; आवेदकों की साख और प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाना चाहिए। [पैरा 99] [816-सी]

4.1 हालाँकि यह अदालत अपीलों को स्वीकार कर रही है, विद्वान एनजीटी के आदेशों को दरकिनार कर रही है, और एनजीटी की कार्रवाई को बरकरार रख रही है। राज्य सरकार को लाइसेंस देने में, अदालत राज्य और उसके अधिकारियों को याद दिलाना चाहेगी कि पर्यावरण की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। राज्य और उसके अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटते वन और वृक्ष आच्छादन की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। न्यायालय राज्य सरकार को यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य को निर्देश देता है।

ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा एएनआई विश्वास और और का स्वागत करता है। ईटीसी। ईटीसी।

यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निषिद्ध प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय, यह सख्ती से सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमति केवल तभी दी जाए जब 7 जनवरी 2020 की अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाएं। [पैरा 100 और 102] [816-I 819-E]

4.2 विद्वान राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के साथ-साथ में पारित किए गए विवादित आदेश

समीक्षा आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। [पैरा 103] [819 एफ-जी]

सामान्य कारण बनाम भारत संघ और अन्य (2017) 9 एस. सी. सी. 499: [2017] 13 एससीआर 361; मंत्री टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड बनाम फॉरवर्ड फाउंडेशन और अन्य [2019] 18 एससीसी 494; ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा और अन्य। (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 897; प्रग्नेश शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और अन्य

[2022] एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 79; टी. सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एस. सी. सी. 651: [1994] 2 पूरक। एस. सी. आर. 122 पैरा 83; समता बनाम ए. पी. राज्य और ओआरएस। (1997) 8 एस. सी. सी. 191 [1997] पूरक। एस. सी. आर. 305; स्टेट ऑफ एच. पी. और अन्य बनाम गणेश लकड़ी उत्पाद और अन्य (1995) 6 एस. सी. सी. 363: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 477; एस्सार ऑयल लिमिटेड बनाम हलार उत्कर्ष समिति और अन्य (2004) 2 एस. सी. सी. 392: [2004] 1 एस. सी. आर. 808; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ और अन्य (1996) 5 एस. सी. सी. 281: [1996] 1 पूरक। एस. सी. आर. 507; महाराष्ट्र भूमि

विकास निगम और अन्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र और दूसरा (2011) 15 एस. सी. सी. 616: [2010] 15 एस. सी. आर. 37; ग्लैनरॉक एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 10 एस. सी. सी. 96: [2010] 12 एससीआर 597; टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम भारत संघ और

अन्य AIR 1997 SC 1228: [1996] 9 पूरक। एससीआर 982

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 13 एससीआर 361

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

[1994] 2 पूरक। एससीआर 122

पै

रा 83

संदर्भित किया गया है

[1997] पूरक। एससीआर 305

संदर्भित किया गया है

पै

रा 101

[1995] 3 पूरक। एससीआर 477

पै

रा 101

संदर्भित किया गया है

[2004] 1 एससीआर 808

पै

रा 101

[2022

] 19 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1996] 1 पूरक। एससीआर 507

पै

रा 101

संदर्भित किया गया है

[2010] 15 एससीआर 37

पै

रा 101

संदर्भित किया गया है

[2010] 12 एससीआर 597

पै

रा 101

संदर्भित किया गया है

[1996] 9 पूरक। एससीआर 982

पै

रा 101

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.2407

2412 2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 02.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 2020 के समीक्षा आवेदन Nos.40 और 41 में और 2020 के समीक्षा आवेदन No.42 में दिनांकित 21.12.2020 और मूल आवेदन Nos.313 में दिनांकित 18.02.2020 में,

335 और 2019 का 396।

के साथ

सिविल अपील Nos.3144-3146,3132-3134,3135-3137,3138,4061

4062 , 3141 , 2547-2548 , 3142-3143 , 3147-3149 2022 से

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, विकास सिंह, पी. एस. पटवालिया, राणा

मुखर्जी, वी. गिरि, सैयद वसीम कादरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वी. के. उनियाल, विनय नवारे, वी. के. शुक्ला, ध्रुव मेहता, बृजेंद्र चाहर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कमलेंद्र मिश्रा, सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रमोद कुमार, राजीव कुमार दुबे, सौरभ सिंह चौहान, सुश्री सरोज त्रिपाठी, मो. राशिद सईद, सईद कादरी, दिनेश कुमार गर्ग, अभिषेक गर्ग, धनंजय गर्ग, ईशान तिवारी, सत्यजीत कुमार, राजेश श्रीवास्तव, गौरव वर्मा, नीरज दत्त गौर, लोकेश कुमार चौधरी, ए. लक्ष्मीनारायणन,

रुद्राक्ष गुप्ता, ए. वेलन, अखिल पी. फिलिप, विश्वदीप चौहान, विकल्प शर्मा, अंकोलेकर गुरुदत्त, अजय सिंह, राम कुमार, देबाशीष मुखर्जी, लोकेश कुमार चौधरी, विवेक गुप्ता, मृण्मय भट्टमेवाड़ा, राजवीर सिंह भाटी, श्याम आर. अग्रवाल, नमित सक्सेना, सुश्री सुहासिनी सेन, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री चिनमयी चंद्र, वरुण चुघ, गुरमीत सिंह मक्कर, अंसार अहमद चौधरी, राशिद हसन, सुश्री शेहला चौधरी, मोहम्मद। अनस चौधरी, डॉ. विनोद कुमार तिवारी, आलोक कुमार, निहाल अहमद, अरविंद कुमार शुक्ला, अमित कुमार, सुश्री प्राची गोयल, सुश्री अनु सिंगला, तुषार स्वाही, वासु, अरविंद कुमार शुक्ला, वासु चौधरी, सुश्री प्राची, एस. के. वर्मा, जुल्फिकार अली पी. एस., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अभियोग/हस्तक्षेप के लिए आवेदनों में बताए गए कारणों के लिए, इसकी अनुमति है।

2. अपीलों का यह समूह विद्वान राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ द्वारा पारित 18 फरवरी 2020 के आदेश को चुनौती देता है।

2019 के मूल आवेदन Nos.313,335 और 396 में नई दिल्ली (इसके बाद "विद्वान एनजीटी" के रूप में संदर्भित), जिससे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा नए लकड़ी आधारित उद्योगों (इसके बाद "डब्ल्यूबीआई" के रूप में संदर्भित) की स्थापना के लिए 1 मार्च 2019 को जारी किए गए नोटिस को रद्द और अलग कर दिया गया और इसके अनुसरण में दिए गए सभी अस्थायी लाइसेंसों को भी अलग कर दिया गया।

3. अपीलों में 18 मार्च 2020,2 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर 2020 के आदेशों को भी चुनौती दी गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य और अस्थायी लाइसेंस धारकों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।

4. 2021 की सिविल अपील उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर की जाती है। शेष सिविल अपील अस्थायी लाइसेंस धारकों द्वारा दायर की जाती हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 1 मार्च 2019 को जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में लाइसेंस दिए गए थे।

वास्तविक पृष्ठभूमि

5. सुविधा के लिए, हम सिविल अपील संख्या में पाए जाने वाले तथ्यों का उल्लेख करेंगे। 2407-2412 2021 का उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दाखिल किया गया।

6. इस न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किए गए हैं और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (जिसे इसके बाद "सीईसी" के रूप में संदर्भित किया गया है) नियुक्त की गई है।

इस न्यायालय द्वारा, पेड़ों की कटाई को प्रतिबंधित करने/विनियमित करने के साथ-साथ डब्ल्यू. बी. आई. की स्थापना के लिए विभिन्न निर्देश जारी करना। हम बाद के अनुच्छेदों में उनका विस्तार से उल्लेख करेंगे।

7. इस न्यायालय द्वारा 1995 (टी. एन. गोडावर्मन) की रिट याचिका (सिविल) No.202 में दिनांक 5 अक्टूबर 2015 को पारित आदेश के अनुसरण में। तिरुमालपद बनाम भारत संघ), पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (संक्षेप में "एम. ओ. ई. एफ. सी. सी".) ने लकड़ी आधारित जारी किया।

उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश 2016 (इसके बाद "2016 दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) अधिसूचना संख्या। एस. ओ. 3456 (ई) दिनांक 11 नवंबर 2016।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. 2016 के दिशानिर्देशों के बाद, भारतीय वन सर्वेक्षण (संक्षेप में "एफ. एस. आई".) द्वारा फरवरी 2017 और दिसंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में डब्ल्यू. बी. आई. एस. के लिए वन के बाहर के पेड़ों (संक्षेप में "टी. ओ. एफ".) के लिए लकड़ी का मूल्यांकन किया गया था। इसके बाद एफ. एस. आई. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिलेवार, प्रजातिवार और व्यास वर्गवार तनों (पेड़ों) की संख्या, राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में टी. ओ. एफ. से लकड़ी का मात्रा और वार्षिक संभावित उत्पादन शामिल है।

9. 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, इस मामले को विभिन्न डब्ल्यूबीआई को लाइसेंस देने के लिए राज्य स्तरीय समिति (संक्षेप में "एसएलसी") के समक्ष रखा गया था। एसएलसी ने 4 मई 2018 को आयोजित अपनी बैठक में, उत्तर प्रदेश राज्य में नए डब्ल्यू. बी. आई. के लिए उपलब्ध लकड़ी की मात्रा निर्धारित करने के लिए लकड़ी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न डब्ल्यू. बी. आई. को लाइसेंस देने के मामले पर विचार किया गया। उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में उपलब्ध लकड़ी के खिलाफ विभिन्न श्रेणियों के तहत डब्ल्यूबीआई को जारी किए जाने वाले नए लाइसेंसों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ("आईपीआईआरटीआई") द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

10. 7 सितंबर 2018 को आयोजित एस. एल. सी. की बैठक में यह पाया गया कि प्लाईवुड इकाइयों की क्षमता निर्धारित की गई है।

2016 दिशानिर्देश, जो बदले में, आईपीआईआरटीआई के मूल्यांकन पर आधारित थे, यह निर्णय लिया गया कि आईपीआईआरटीआई द्वारा क्षमता के नए मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है।

11. उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, ई-लॉटरी आयोजित की गई थी

128 श्रेणियों में डब्ल्यू. बी. आई. की स्थापना के लिए विभिन्न डब्ल्यू. बी. आई. को लाइसेंस देने के लिए दिसंबर 2018। 12 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2018 के बीच, 1348 सफल आवेदकों को ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र जारी किए गए। इसके बाद, फरवरी और मार्च 2019 के महीनों में, 8 श्रेणियों में 1215 सफल आवेदकों को अपने डब्ल्यूबीआई स्थापित करने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। इसके बाद, 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था

नव चयनित डब्ल्यू. बी. आई. एस. को अस्थायी लाइसेंसों के अनुदान के बारे में सूचित करना।

12. इससे व्यथित होने के कारण, 2019 का मूल आवेदन संख्या 313

उदय एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा मार्च 2019 में विद्वान एनजीटी के समक्ष दायर किया गया था। 28 मार्च 2019 के आदेश के माध्यम से, एनजीटी ने राज्य सरकार को संयुक्त समिति से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश और ओआरएस राज्य के प्रधान सचिव के प्रतिनिधि शामिल हैं।

ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

(वन), उत्तर प्रदेश और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश मुद्दों की जांच करने के लिए।

13. राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को जारी किए गए नोटिस से व्यथित होने के कारण, मूल आवेदन संख्या। 335 और 2019 का 396

एन. जी. टी. के समक्ष क्रमशः संवित फाउंडेशन और यू. पी. टिम्बर एसोसिएशन द्वारा भी दायर किया गया।

14. विद्वान एन. जी. टी. द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में,

संयुक्त समिति की रिपोर्ट 3 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की जानी थी। वीडियो दिनांक 6 अगस्त 2019 का आदेश मूल आवेदन संख्या में पारित किया गया। 313 , 335 और 2019 का 396, विद्वान एनजीटी ने राज्य सरकार को टी. एन. गोडावर्मन बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में 1350 इकाइयों द्वारा नए डब्ल्यूबीआई की स्थापना के संबंध में 1 मार्च 2019 के नोटिस की सख्ती से समीक्षा करने का निर्देश दिया। भारत संघ। 1 अक्टूबर 2019 के आदेश के माध्यम से, एनजीटी ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

15. उत्तर प्रदेश राज्य ने एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया

ओ. ए. संख्या में 2019 का <आई. डी. 1. 313 , 335 और 2019 का 396, दिनांक 6 अगस्त 2019 के आदेश और दिनांक 1 अक्टूबर 2019 के आदेश में संशोधन की मांग करता है। 18 दिसंबर 2019 के आदेश के माध्यम से, एनजीटी ने राज्य सरकार को कुछ डेटा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए। इसके बाद, 18 फरवरी 2020 के विवादित आदेश के माध्यम से, एनजीटी ने उक्त मूल आवेदनों की अनुमति दी और नए डब्ल्यूबीआई और दिए गए सभी अस्थायी लाइसेंसों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया। 16. इससे व्यथित होकर, 2020 की सिविल अपील (डायरी) No.12004 इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। 26 अक्टूबर 2020 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने उक्त अपीलों को विद्वान एनजीटी के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया। 18 मार्च 2020,2 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर 2020 के आदेशों के माध्यम से, विद्वान एनजीटी ने समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया।

17. इसलिए, अपीलकर्ताओं ने मूल में विद्वान एनजीटी द्वारा पारित आदेशों से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

आवेदनों के साथ-साथ समीक्षा याचिकाओं में भी।

प्रस्तुतियाँ

18. हमने श्री विकास सिंह, श्री पी. एस. पटवालिया और श्री राणा मुखर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील को [2022] 19 एस. सी. आर. की ओर से पेश होते हुए सुना है।

उत्तर प्रदेश राज्य, श्री वी. गिरि, श्री सैयद वसीम कादरी, श्री वी. के. उनियाल, श्री विनय नवारे, श्री वी. के. शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ वकील, सुश्री प्रेरणा सिंह और श्री रुद्राक्ष गुप्ता, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील, जिन्हें अस्थायी लाइसेंस दिए गए थे। हमने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकीलों, श्री ध्रुव मेहता और श्री बृजेंद्र चाहर को भी सुना है।

19. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का डब्ल्यू. बी. आई. स्थापित करने का निर्णय इसके अनुरूप है

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा जारी 2016 के दिशानिर्देशों के साथ। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1215 नए डब्ल्यूबीआई द्वारा लकड़ी की आवश्यकता, जिन्हें अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे, केवल 12.35 लाख घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि राज्य में कुल उपलब्ध लकड़ी 80.30 लाख घन मीटर प्रति वर्ष है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवश्यकता लकड़ी की कुल उपलब्धता का 20 प्रतिशत भी नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वन के साथ-साथ टीओएफ का सर्वेक्षण करने के लिए देश में एकमात्र अधिकृत एजेंसी एफएसआई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईपीआईआरटीआई का उद्देश्य वन या टीओएफ का सर्वेक्षण करना नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वास्तव में, विद्वान एनजीटी ने स्वयं एफएसआई द्वारा इस तरह के अध्ययन का निर्देश दिया है, जिसने पहले ही पंजाब, महाराष्ट्र और अन्य जैसे कई राज्यों के लिए इसी तरह के अध्ययन किए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उत्तर प्रदेश राज्य में लकड़ी की उपलब्धता के संबंध में सर्वेक्षण उसी एजेंसी द्वारा किया गया था, तो विद्वान एनजीटी ने फिर से राज्य सरकार को एफएसआई के माध्यम से इस तरह का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने में बड़ी गलती की।

20. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने भी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लिए गए रुख का समर्थन किया था और इसलिए, विद्वान एन. जी. टी. को राज्य के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। सरकार।

21. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का निर्णय इस निर्णय के अनुरूप है -

इस न्यायालय ने दिनांक 18 मई 2007 और 5 अक्टूबर 2015 को 1995 की रिट याचिका (सिविल) No.202 (टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम। भारत संघ)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब एफ. एस. आई. जैसे विशेषज्ञ निकाय ने एक विस्तृत अध्ययन किया था, तो विद्वान एन. जी. टी. के लिए उसी पर अपील करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से 18 दिसंबर 2019 के विद्वान एनजीटी के आदेश के अनुपालन में लकड़ी की उपलब्धता के बारे में एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया है, लेकिन विद्वान एनजीटी ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

22. श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एनजीटी ने आदेश पारित करने में गलती की है जिसने लोगों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

जिन नागरिकों को अस्थायी लाइसेंस दिए गए थे। वह प्रस्तुत करता है कि आक्षेपित आदेश पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य लकड़ी की अपनी आवश्यकता की गणना करते समय इस पर भी ध्यान देता है। उत्तर प्रदेश राज्य से आयात पर विचार करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उत्तर प्रदेश राज्य में अतिरिक्त लकड़ी उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में उद्यमियों की कीमत पर इसे हरियाणा राज्य को निर्यात करने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है।

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने कहा कि डब्ल्यू. बी. आई. में उपयोग की जाने वाली लकड़ी उन पेड़ों की है जो कृषि आधारित हैं। वह.

प्रस्तुत करता है कि हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य ने जून 2018 से लाइसेंस देने तक एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन एनजीटी के समक्ष आवेदकों ने कोई कदम नहीं उठाया था। श्री नवारे प्रस्तुत करते हैं कि अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाने और 1215 डब्ल्यूबीआईएस अस्थायी लाइसेंस धारकों में से 632 की स्थापना और संचालन शुरू होने के बाद ही आवेदनों पर विचार किया गया और आदेश डब्ल्यूबीआई के पूर्वाग्रह के लिए पारित किए गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (इसके बाद "एनजीटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 19 (1) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का आदेश देती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि अभियोग के लिए आवेदन डब्ल्यूबीआई द्वारा किए गए थे, लेकिन आवेदकों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

24. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. के. उनियाल ने कहा कि विद्वान एनजीटी ने "आवंटित" शब्द का उपयोग करने में गलती की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डब्ल्यू. बी. आई. को लकड़ी के आवंटन का कोई सवाल ही नहीं है और उन्हें इसे खुले बाजार से खरीदना आवश्यक है। 25. वरिष्ठ वकील श्री वी. के. शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने 8 अलग-अलग लोगों के लिए अस्थायी लाइसेंस देने का फैसला किया है।

डब्ल्यू. बी. आई. की श्रेणियाँ। डब्ल्यूबीआई की विभिन्न श्रेणियों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता अलग-अलग होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एनजीटी ने डब्ल्यूबीआई की सभी श्रेणियों पर एक साथ विचार करने और उन सभी को दिए गए लाइसेंसों को अलग करने में घोर गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त उद्योग 2014 की राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के अनुसरण में स्थापित किए गए हैं और इस प्रकार एनजीटी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

26. सुश्री प्रेरणा सिंह, विद्वान वकील, अपीलार्थियों की ओर से पेश होती हैं, जिन्हें प्लाईवुड (केवल प्रेस) के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए गए हैं।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रेणी। वह प्रस्तुत करती है कि प्लाईवुड (केवल प्रेस) उद्योगों के लिए, सीधे लकड़ी की खपत की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में लिबास गोल/ताजा लकड़ी से बनाया जाता है। फिर इस तरह से निर्मित लिबास को चिपकाया जाता है और प्लाईवुड बनाने के लिए एक साथ दबाया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एनजीटी ने लकड़ी की आवश्यकता को वास्तविक आवश्यकता से दोगुना माना है। वह प्रस्तुत करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में, लिबास का निर्माण अधिशेष में किया जाता है, जिसे हरियाणा राज्य को निर्यात किया जाता है। 27. विद्वान वकील श्री रुद्राक्ष गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एनजीटी राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने में विफल रहा है।

पॉप्लर कमीशन ऑफ इंडिया।

28. अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले सभी विद्वान वकील, एक साथ प्रस्तुत करते हैं कि न्यायालय के समक्ष मूल आवेदक नहीं थे

प्रामाणिक वादी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानने के कारण हैं कि या तो उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूदा डब्ल्यूबीआई के कहने पर प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी या उन्हें हरियाणा राज्य में डब्ल्यूबीआई के कहने पर दायर किया गया था जो आयात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश राज्य से सस्ती दरों पर लकड़ी।

29. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता, इसके विपरीत, प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय ने

बार-बार यह माना गया कि सतत विकास के सिद्धांत,

एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का लगातार पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि एनजीटी अधिनियम की धारा 22 को देखते हुए, इस न्यायालय के समक्ष अपील का दायरा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 तक सीमित हो सकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठाया जाता है, तब तक अपील मान्य नहीं हो सकती है।

पॉप्लर और नीलगिरी के अलावा कोई भी लकड़ी, चाहे वह कानूनी स्रोत से हो या अन्यथा, इकाई को दिया गया लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वह आगे 12 अक्टूबर 2006 की सी. ई. सी. की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। वह. प्रस्तुत करता है कि यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य के जिले के आधार पर एक मूल्यांकन किया जाना है।

ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

टी. ओ. एफ. श्रेणी से लकड़ी की उपलब्धता के बारे में विवेकपूर्ण सर्वेक्षण। वे प्रस्तुत करते हैं कि सी. ई. सी. की उक्त रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि राज्य का आकलन राज्य सरकार द्वारा शुरू में किए गए अनुमान की तुलना में बहुत कम है। वह प्रस्तुत करता है कि जब तक नए डब्ल्यू. बी. आई. एस. के लिए लकड़ी की उपलब्धता का आकलन नहीं किया जाता है और एस. एल. सी. इसकी जांच और अनुमोदन की सिफारिश नहीं करता है,

नए डब्ल्यू. बी. आई. स्थापित करने की अनुमति नहीं है। 31. श्री मेहता ने आगे कहा कि 18 अप्रैल 2007 की सी. ई. सी. की रिपोर्ट, जिसे इस अदालत ने 18 मई 2007 के अपने आदेश के माध्यम से स्वीकार किया है, से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में डब्ल्यू. बी. आई. के लिए लकड़ी की उपलब्धता केवल 45.70 लाख घन मीटर प्रति वर्ष है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में कई

चीन से आयातित मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, मौजूदा इकाइयों की क्षमता बहुत अधिक हो गई है और इसलिए, लकड़ी जो उपलब्ध है

उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूदा उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

32. श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं कि जब एस. एल. सी. ने 4 मई 2018 की अपनी बैठक में आई. पी. आई. आर. टी. आई. से एक रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया था, तो 7 सितंबर 2018 की अपनी अगली बैठक में अपने निर्णय की समीक्षा करने का कोई अवसर नहीं था। वह प्रस्तुत करता है कि मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मंडल, कानपुर के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी

34. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि 20 जुलाई 2012 की अधिसूचना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश राज्य ने निषिद्ध श्रेणी में पेड़ों की 7 प्रजातियों को अधिसूचित किया था। हालाँकि, 31 अक्टूबर 2017 की एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, उक्त पेड़ों को प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। विद्वान एनजीटी ने 11 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा 2017 की उक्त अधिसूचना को दरकिनार कर दिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एनजीटी के उक्त आदेश को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और

7 जनवरी 2020 को नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें उक्त पेड़ों को फिर से प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करते समय, उक्त निषिद्ध श्रेणी के तहत पेड़ों को भी ध्यान में रखा गया है।

कि यदि लकड़ी की उपलब्धता से एक लाख घन मीटर की कटौती की जाती है, तो राज्य में उपलब्ध लकड़ी बहुत कम होगी।

35. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि सर्वेक्षण

अन्य 1, मंत्री टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड बनाम फॉरवर्ड फाउंडेशन और अन्य 2, ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा और अन्य और प्रग्नेश शाह बनाम डॉ. अरुण कुमार शर्मा और अन्य। 37. श्री ध्रुव मेहता, अंकिता सिन्हा और अन्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि यह न्यायालय स्वयं

विद्वत एन. जी. टी. को एक विशेष न्यायाधिकरण माना है और अभिनिर्धारित किया है कि इसके पास स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र भी होगा

पर्यावरणीय मुद्दे। इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि दिए गए तर्क

लोकस के संबंध में अपीलार्थियों की ओर से तथ्यहीन हैं।

38. श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रत्युत्तर में प्रस्तुत करते हैं कि निषिद्ध पेड़ों और गैर-निषिद्ध पेड़ों के बीच एकमात्र अंतर है पेड़ यह है कि गैर-निषिद्ध पेड़ों को बिना अनुमति के काटा जा सकता है, जबकि निषिद्ध पेड़ों को केवल कुछ परिस्थितियों में और आवश्यक अनुमति दिए जाने के बाद ही काटा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफ. एस. आई. सर्वेक्षण के अवलोकन से पता चलेगा कि 1215 नई इकाइयों के लिए लकड़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखने के बाद भी, राज्य के पास अभी भी 26.36 लाख घन मीटर आरक्षित होंगे। वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि नए डब्ल्यू. बी. आई. को अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप राज्य में अधिक किसान कृषि वानिकी के लिए जाएंगे, जिससे वन क्षेत्र में वृद्धि होगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि 1215 इकाइयों से लगभग 80,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं।

1 (2017) 9 एससीसी 499

32021 एससीसी ऑनलाइन एससी 897 42022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 79

ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

इस न्यायालय के पूर्व आदेश

39. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, यह उपयुक्त होगा

इस न्यायालय द्वारा पारित कुछ आदेशों के लिए।

40. टी. एन. गोडावर्मन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने पारित किया

12 दिसंबर 1996 को। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 6. प्रत्येक राज्य सरकार को दो महीने के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। के बारे में -

आरा मिलों, लिबास और प्लाईवुड मिलों की संख्या

((i)

वास्तव में राज्य के भीतर संचालन, विवरणों के साथ

उनके वास्तविक स्वामित्व का; इन मिलों की अनुज्ञप्ति प्राप्त और वास्तविक क्षमता

((ख)

स्टॉक और काटना;

(iii)

निकटतम जंगल से उनकी निकटता;

((iv) उनके लकड़ी के स्रोत।

7. प्रत्येक राज्य सरकार को एक महीने के भीतर गठन करना चाहिए,

मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ समितिः

राज्य के वनों की स्थायी क्षमता

(1)

आरा मिलों और लकड़ी आधारित उद्योग;

मौजूदा आरा मिलों की संख्या जो सुरक्षित रूप से कर सकते हैं

((ख)

राज्य में कायम रहना;

(iii)

जंगल से इष्टतम दूरी, उस राज्य से,

जिस पर आरा मिल स्थित होनी चाहिए।

41. 4 मार्च 19975 के बाद के आदेश के अनुसार, यह न्यायालय

टेड इस प्रकार हैः

" 6. में सभी बिना लाइसेंस वाली आरा मिलें, लिबास और प्लाईवुड उद्योग

महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य होंगे तुरंत बंद कर दिया गया और राज्य सरकार इसे नहीं हटाएगी या

उद्घाटन के लिए अनुमति/लाइसेंस देने की शर्त में ढील दें।

ऐसी किसी आरा मिल, लिबास और प्लाईवुड उद्योग का और वह

इस उद्देश्य के लिए कोई नई अनुमति/लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए। द.

राज्य के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। निर्देश दें और दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।

42. 9 मई 2002 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और मामलों के गैर-अनुपालन को अपने समक्ष रखने के लिए सी. ई. सी. का गठन किया।

43. 29 अक्टूबर 20026 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने आगे निर्देश दिया

इस प्रकारः

" 44. कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसी भी बिना लाइसेंस वाले आरा मिल, लिबास, प्लाईवुड उद्योग को संचालित करने की अनुमति नहीं देगा और उन्हें ऐसी सभी बिना लाइसेंस वाली इकाइयों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया जाता है। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी आरा मिल, लिबास या प्लाईवुड उद्योग को खोलने की अनुमति नहीं देगा।

45. यह छूट और या उचित संशोधन या वृक्षारोपण या अनुदान के लिए आदेश के लिए इस न्यायालय में आवेदन करने के लिए खुला होगा। लाइसेंस "।

44. 1 सितंबर 2006 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने सी. ई. सी. की सिफारिश के अनुसार लकड़ी की उपलब्धता और पात्रता और वरिष्ठता के अनुसार बंद आरा मिलों, लिबास और प्लाईवुड इकाइयों को लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी।

45. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में, बंद किए गए डब्ल्यूबीआईएस के बारे में जानकारी के सत्यापन और संकलन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा एसएलसी का गठन किया गया था।

46. एफ. एस. आई. ने अपना आकलन किया और उत्तर प्रदेश राज्य में टी. ओ. एफ. से लकड़ी की वार्षिक उपलब्धता का आकलन 55.61 पर किया।

3 अप्रैल 2007 की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख घन मीटर। 47. एफ. एस. आई. की रिपोर्ट के आधार पर, एस. एल. सी. ने टी. ओ. एफ. से डब्ल्यू. बी. आई. के लिए लकड़ी की वार्षिक उपलब्धता का आकलन 53.01 लाख घन पर किया।

मीटर। सी. ई. सी. ने इसे घटाकर 43.70 लाख घन मीटर कर दिया। हालाँकि, इसने सरकारी वनों से उपलब्ध लकड़ी के रूप में प्रति वर्ष 2 लाख घन मीटर जोड़े, और इसलिए, 45.70 लाख घन मीटर पर लकड़ी की वार्षिक उपलब्धता का आकलन किया।

48. यह देखा जाना चाहिए कि सी. ई. सी. ने अपनी रिपोर्ट में ही प्रतिबंधित प्रजातियों की एक लाख घन मीटर लकड़ी को शामिल किया है। यह न्यायालय

6 (2008) 16 एस. सी. सी. 337 द स्टेट ऑफ यू. पी. एंड ओ. आर. एस. ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

सीईसी की रिपोर्ट पर विचार किया और 18 मई 2007 को निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" ये मामले सॉ मिल्स, प्लाईवुड और लिबास इकाइयों से संबंधित हैं। सीईसी ने उद्योगों के लिए लकड़ी की उपलब्धता पर विचार किया है, जिसका आकलन 43.70 लाख क्यू के रूप में किया गया था। जंगलों के बाहर पेड़ों से

और 02.00 लाख क्यू। सरकारी वनों से एम. टी. इसने इकाइयों का मूल्यांकन भी चार श्रेणियों में किया है।

हम सी. ई. सी. की सिफारिशों को स्वीकार करते हैं। द सॉ मिल्स, प्लाईवुड

और लिबास इकाइयों की अनुमति दी जा सकती है, के आधार पर

सी. ई. सी. द्वारा की गई सिफारिशें। द्वारा लाइसेंस दिए जा सकते हैं

राज्य स्तरीय समितियाँ। यदि लाइसेंस देने के संबंध में कोई आपत्ति है, तो पक्षकार सीईसी के समक्ष अपने आवेदन जमा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

विचार करें "।

49. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 2007 में ही इस न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया था

सीईसी की सिफारिशें जिसमें सीईसी ने लकड़ी की कुल उपलब्धता की गणना की थी और निषिद्ध श्रेणी से लकड़ी की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा था।

50. 29 फरवरी 2008 के आदेश के अनुसार, इस अदालत ने मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड के निर्माण से संबंधित मुद्दे पर विचार किया

(पंजाब, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों में एम. डी. एफ.) और कण बोर्ड। उसी पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" यह मामला पंजाब राज्यों में मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड (एम. डी. एफ.) और कण बोर्ड के निर्माण से संबंधित है।

उत्तराखंड और कर्नाटक। सी. ई. सी. ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है और कहा है कि औद्योगिक लकड़ी के स्थान पर अधिक से अधिक एम. डी. एफ./कण बोर्ड का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एम. डी. एफ./कण बोर्ड प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करने में मदद करता है। नीलगिरी, पॉप्लर के बागानों से उपलब्ध लप्स और टॉप और छोटी लकड़ी,

गैर-वन में उगाए गए आदि का उपयोग एम. डी. एफ./कण बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

पादप "।

51. इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमतियों को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंस उन बिना लाइसेंस वाली आरा मिलों को दिए गए थे जिन्हें बंद कर दिया गया था उपलब्धता [2022] 19 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की।

2007 और 2010 के बीच लकड़ी की। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त लाइसेंस केवल उन इकाइयों को दिए गए थे जो बंद हो गई थीं और नई इकाइयों को नहीं।

52. यह मामला 30 अप्रैल 2010 को इस न्यायालय के समक्ष फिर से विचार के लिए आया, जब इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" (II) लाइसेंस प्राप्त लकड़ी आधारित उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के बाद, इस माननीय न्यायालय द्वारा अनुमत इकाइयों और जिन इकाइयों की श्रेणी को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उन प्लाईवुड/लिबास इकाइयों को लाइसेंस देने के लिए विचार किया जा सकता है, जो लकड़ी की उपलब्धता की सीमा तक और सख्ती से वरिष्ठता के क्रम में, लिबास इकाइयों के संबंध में प्रति प्रेस 9 लाख रुपये के एकमुश्त भुगतान और अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं।

निर्धारित किया गया है। जुर्माने का एक बार का भुगतान सामान्य लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।

उत्तर प्रदेश वन विभाग को देय। जैसा कि पहले निर्णय लिया गया था, उपरोक्त राशि को एक निर्दिष्ट ब्याज वाले बैंक खाते में रखा जाना चाहिए और इस संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

53. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अनुमति दी

यदि अतिरिक्त लकड़ी उपलब्ध पाई जाती है तो अतिरिक्त लाइसेंस।

54. सी. ई. सी. ने 26 मई 2010 को उत्तर प्रदेश राज्य में एस. एल. सी. और डब्ल्यू. बी. आई. संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित अपनी बैठक में,

वर्टिकल बैंड सॉ (वी. बी. एस.) आरा मिल के लिए लकड़ी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वी. बी. एस. आरा मिलों के लिए लकड़ी की क्षमता का मूल्य 540 हॉर्स पावर से घटाकर 270 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष कर दिया गया है। के रूप में इस प्रकार, 3,549 ऐसी वी. बी. एस. इकाइयों से लाइसेंस के लिए अतिरिक्त क्यूबिक मीटर लकड़ी उपलब्ध हो गई। 2010 और 2015 के बीच इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा बिना लाइसेंस वाले डब्ल्यू. बी. आई. को लाइसेंस जारी किए गए, जिन्हें सी. ई. सी. द्वारा अनुशंसित मानदंडों के अनुसार और इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इस न्यायालय के आदेश से पहले बंद कर दिया गया था।

55. यह मामला फिर से इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया

5 अक्टूबर 2015 को डब्ल्यूबीआई के संबंध में, जब इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" श्रेणी I-जूँ से संबंधित मामले आधार उद्योगः

यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

हमने सुना है कि विद्वान न्याय मित्र श्री हरीश साल्वे,

श्री रंजीत कुमार, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री के. के.

वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील और अन्य विद्वान वरिष्ठ वकील/वकील। तदनुसार, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(i) लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए राज्य स्तरीय समितियाँ ("एस. एल. सी".), निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन, अनुदान के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।

लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस/अनुमति;

(ii) प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिसके लिए अब तक एस. एल. सी. का गठन नहीं किया गया है, प्राचार्य की अध्यक्षता में एस. एल. सी.

मंत्रालय के एक प्रतिनिधि के साथ मुख्य वन संरक्षक

पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ. सी. सी.)

और राज्य वन विभाग/उद्योग विभाग का एक अधिकारी

विभाग जो मुख्य संरक्षक के पद से नीचे नहीं है

वन/समकक्ष श्रेणी का तुरंत गठन किया जाएगा।

(iii) एमओईएफ उचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है।

इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों और मूल्यांकन से संबंधित एस. एल. सी. के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप

लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए लकड़ी की उपलब्धता और अनुदान

लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस/अनुमति जिसमें नई मशीनरी जोड़ना और उनसे बरामद राशि का उपयोग भी शामिल है।

लकड़ी आधारित उद्योग और संबंधित मामले;

(iv) एस. एल. सी. द्वारा लिए गए निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति।

उचित राहत के लिए एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

60 दिनों के भीतर। यदि, किसी भी कारण से, कोई व्यक्ति अपील में इस प्रकार पारित आदेशों से व्यथित है, तो वह उपयुक्त मंच/न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त याचिका/आवेदन/अपील को प्राथमिकता दे सकता है।

उचित राहत प्रदान करना।

हम एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. को दाखिल करने में देरी, यदि कोई हो, को माफ करने की भी अनुमति देते हैं।

पीएल, यदि आवेदक (ओं)/अपीलार्थी (ओं) द्वारा पर्याप्त कारण बताया गया है "

56. इस प्रकार यह देखा गया है कि उक्त आदेश के अनुसार, एस. एल. सी. को डब्ल्यू. बी. आई. एस. को लाइसेंस/अनुमति देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश के तहत एस. एल. सी. का गठन करने का भी निर्देश दिया गया था

एक के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक का नेतृत्व

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. और राज्य वन के एक अधिकारी

आर. टी. एम. टी./उद्योग विभाग जो प्रमुख के पद से नीचे न हो।

वन संरक्षक/समकक्ष पद। इस न्यायालय ने आगे [2022] 19 एस. सी. आर. को निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एस. एल. सी. का गठन किया जाएगा, जिसके लिए अभी तक एस. एल. सी. का गठन नहीं किया गया था। एम. ओ. ई. एफ. को जारी करने का भी अधिकार था। जारी किए गए आदेशों और निर्देशों के अनुरूप उचित दिशानिर्देश

इस न्यायालय द्वारा और डब्ल्यू. बी. आई. के लिए लकड़ी की उपलब्धता के मूल्यांकन से संबंधित एस. एल. सी. के लिए मौजूदा दिशानिर्देश भी। एस. एल. सी. के फैसले के खिलाफ एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

एमओईएफसीसी गाइड लाइन्स

57. 5 अक्टूबर 2015 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने 11 नवंबर 2016 को 2016 के दिशानिर्देश जारी किए। 2016 के दिशानिर्देशों में एस. एल. सी. के गठन के साथ-साथ एस. एल. सी. की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। 2016 के दिशानिर्देशों के खंड 4 के तहत, एस. एल. सी. को हर पांच साल में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में लकड़ी आधारित औद्योगिक इकाइयों के लिए लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करने के लिए अधिकृत किया गया था। एसएलसी को लकड़ी आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों को मंजूरी देने के लिए भी अधिकृत किया गया था। यह लकड़ी आधारित औद्योगिक इकाइयों के नामों को मंजूरी देने के लिए भी अधिकृत था, जिन पर नए लाइसेंस देने या मौजूदा लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाने के लिए विचार किया जा सकता है।

58. 2016 के दिशा-निर्देशों के खंड 5 में लकड़ी आधारित औद्योगिक इकाइयों के लिए लकड़ी की उपलब्धता के मूल्यांकन का प्रावधान है। इसकी आवश्यकता है।

कि लकड़ी की मात्रा का मूल्यांकन पांच वर्षों में एक बार, अधिमानतः प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से अध्ययन शुरू करके किया जाएगा। 2016 के दिशा-निर्देशों के खंड 6 के तहत, आईपीआईआरटीआई द्वारा मूल्यांकन की गई विभिन्न इकाइयों के लिए लकड़ी की आवश्यकता निम्नलिखित में दी गई थीः अनुलग्नक I. उक्त अनुलग्नक I इस प्रकार हैः

" पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आई. पी. आई. आर. टी. आई.), बैंगलोर ने 4 फुट लंबाई और 8 फुट आकार के छिलकों के लिए प्रति इकाई लकड़ी की आवश्यकता का आकलन किया है।

प्लाईवुड/लिबास इकाइयाँ 5 क्यू के रूप में। एम. टी. और 11 क्यू. एमटी। प्रतिदिन औसतन 8 कार्य घंटे। यह मानते हुए कि छिलका इकाइयाँ औसतन 8 घंटे प्रति दिन काम करती हैं 300 एक वर्ष के दिनों में लिबास इकाइयों में 4 फीट आकार की लंबाई की साधारण लकड़ी की आवश्यकता 1500 घन मीटर होती है। एमटी। अकेले लिबास इकाइयों के लिए कुल लकड़ी की आवश्यकता का आकलन 4 फीट लंबाई की मशीनों की समतुल्य संख्या की गणना करके और इसकी सामान्य स्थापित क्षमता को 1500 क्यू के रूप में लेकर किया जा सकता है। एमटी। प्रति वर्ष।

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

प्लाईवुड इकाई की लकड़ी की आवश्यकता को इस आधार पर 'शून्य' के रूप में लिया जा सकता है कि गोल लकड़ी का उपयोग केवल लिबास इकाइयों में लकड़ी के रूप में किया जाता है और प्लाईवुड इकाइयाँ गौण उपयोगकर्ता हैं जो लिबास इकाइयों द्वारा उत्पादित कच्चे माल के रूप में लिबास का उपयोग करती हैं। प्लाईवुड इकाइयाँ 8x4x6,8x4x12,8x4x15,4x4x7,4x4x10 जैसे विभिन्न आकारों के प्रेस का उपयोग करती हैं। 8x4x10 क्षमता वाला एक प्रेस प्रति घंटे 8 'x4' आकार के 10 प्लाईवुड टुकड़ों का उत्पादन कर सकता है।

8x4x15 क्षमता वाला एक प्रेस प्रति घंटे 8 'x4' आकार के 15 प्लाईवुड टुकड़ों का उत्पादन कर सकता है। प्लाईवुड इकाइयों की मानक स्थापित क्षमता तदनुसार प्रेस की संख्या और प्रकार पर निर्भर करेगी। प्लाईवुड इकाई में स्थापित प्रेस की इस संख्या और प्रकार का आकलन किया जा सकता है और उसके बाद 8x4x10 क्षमता की समतुल्य संख्या या प्रेस की गणना की जा सकती है। एक एकीकृत प्लाईवुड के लिए मानक वार्षिक लकड़ी की आवश्यकता

8x4x10 क्षमता वाले प्रेस वाली इकाई को 2000 क्यू के रूप में लिया जा सकता है। एमटी। प्रति वर्ष, और तदनुसार प्लाईवुड इकाइयों के लिए लकड़ी की कुल आवश्यकता की गणना की जानी चाहिए।

59. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आई. पी. आई. आर. टी. आई. के आकलन के अनुसार भी प्लाईवुड इकाई की लकड़ी की आवश्यकता को लेना आवश्यक है।

एन. आई. एल. के रूप में इस आधार पर कि गोल लकड़ी का उपयोग केवल लिबास इकाइयों में लकड़ी के रूप में किया जाता है और प्लाईवुड इकाइयाँ गौण उपयोगकर्ता हैं जो लिबास का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्लाईवुड इकाइयाँ विभिन्न आकारों के प्रेस का उपयोग करती हैं।

60. 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, प्रधान प्रमुख की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य में एसएलसी का पुनर्गठन किया गया था

17 मई 2017 को वन संरक्षक/वन विभाग के प्रमुख। 11 सितंबर 2017 की अधिसूचना के माध्यम से, एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने 2016 के दिशानिर्देशों में संशोधन किया।

61. इसके बाद, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, एस. एल. सी. ने उत्तर राज्य में डब्ल्यू. बी. आई. के लिए लकड़ी की उपलब्धता का आकलन किया।

प्रदेश, एफ. एस. आई. के माध्यम से। लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करने के लिए, एफ. एस. आई. ने एक सर्वेक्षण किया और राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में टी. ओ. एफ. से लकड़ी के वार्षिक संभावित उत्पादन पर पहुंचा। एफ. एस. आई. ने टी. ओ. एफ. से वार्षिक संभावित उत्पादन का आकलन 77.74 लाख घन मीटर पर किया। सर्वेक्षण और मूल्यांकन के बाद, एस. एल. सी. ने 4 मई 2018 को अपनी बैठक में विभिन्न डब्ल्यू. बी. आई. एस. को लाइसेंस देने के मामले पर विचार किया। एसएलसी ने डब्ल्यूबीआई [2022] 19 एस. सी. आर. को जारी किए जाने वाले नए लाइसेंसों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए आईपीआईआरटीआई द्वारा पुनर्मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया।

उपलब्ध लकड़ी के खिलाफ विभिन्न श्रेणियों के तहत। हालाँकि, बाद में, एस. एल. सी. ने 7 सितंबर 2018 की अपनी बैठक में पाया कि आई. पी. आई. आर. टी. आई. ने किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न डब्ल्यू. बी. आई. द्वारा लकड़ी की खपत का कोई नया अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया था। यह भी पाया गया कि हरियाणा राज्य ने लकड़ी की खपत को अपनाया था

2007 के सी. ई. सी. के आंकड़ों पर आधारित आंकड़े। इसलिए एस. एल. सी. द्वारा सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया कि आई. पी. आई. आर. टी. आई. द्वारा डब्ल्यू. बी. आई. द्वारा लकड़ी की खपत के लिए किसी भी नए अध्ययन/मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है और डब्ल्यू. बी. आई. के लिए आंकड़ों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एस. एल. सी. में संदर्भित किया गया था। 2016 दिशानिर्देश। इसने आगे पाया कि सी. ई. सी. ने 26 मई 2010 की अपनी बैठक में 10 हॉर्स पावर या उससे कम एच. पी. तक की लकड़ी की वार्षिक खपत को 540 क्यूबिक मीटर से घटाकर 270 क्यूबिक मीटर कर दिया था।

मीटर।

62. एस. एल. सी. के निर्णय के आधार पर ई-लॉटरी आयोजित की गई।

प्रक्रिया का पालन करने के बाद, फरवरी और मार्च 2019 में डब्ल्यूबीआई की 8 श्रेणियों में 1215 सफल आवेदकों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। अनंतिम लाइसेंस जारी करने के बाद, 1 मार्च 2019 को राज्य सरकार ने अनंतिम लाइसेंस देने के संबंध में एक नोटिस जारी किया।

नव चयनित डब्ल्यू. बी. आई. को लाइसेंस जिन्हें उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त मूल आवेदन दाखिल करके विद्वान एन. जी. टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी। विद्वान एनजीटी ने विभिन्न अंतर्वर्ती निर्देश पारित करने के बाद अंततः विवादित आदेश पारित किया और राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को जारी किए गए नोटिस और उसके अनुसरण में दिए गए अस्थायी लाइसेंस को रद्द कर दिया। इस प्रकार हमें विद्वान एन. जी. टी. के निर्णय की शुद्धता की जांच करने की आवश्यकता है।

सम्बंध

63. विद्वान एनजीटी ने विवादित आदेश पारित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के नोटिस को निम्नलिखित आधारों पर दरकिनार कर दिया हैः

कि डब्ल्यूबीआई को यह सुनिश्चित करने के बाद ही काम करने की अनुमति दी जा सकती है

(1)

ऐसे उद्योगों को बनाए रखने के लिए लकड़ी और कच्चे माल की उपलब्धता और यह वास्तविक रूप से निर्धारित की जानी चाहिए न कि केवल अनुमान;

(2)

कि उत्तर राज्य के रुख को स्वीकार करना मुश्किल है

प्रदेश कि लकड़ी/कच्चे माल की उपलब्धता थी

नए डब्ल्यूबीआईएस को बनाए रखने के लिए; कि यह उत्तर प्रदेश राज्य का रुख है कि

(3)

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. राज्य में प्रति वर्ष लकड़ी की कुल संभावित उपलब्धता।

ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

उत्तर प्रदेश एक लाख घन मीटर है, जिसमें सरकारी वनों से ढाई लाख घन मीटर और टीओएफ से दो लाख घन मीटर शामिल हैं। आई. डी. 1 लाख घन मीटर में से 71.8 लाख घन मीटर 22 प्रजातियों से और 8.5 लाख घन मीटर अन्य प्रजातियों से उपलब्ध बताए गए थे। 22 प्रजातियों में से, 10 प्रजातियां हैं जिन्हें काटने से प्रतिबंधित किया गया है और इस तरह, इन 10 प्रजातियों में से एक लाख घन मीटर को बाहर रखा जा सकता है।

(4)

कि प्रमुख योगदान नीलगिरी (28 लाख घन घन) से है।

मीटर) और पोप्लर प्रजातियाँ (15 लाख घन मीटर), जिनमें से कुल 43 लाख घन मीटर हैं। इस प्रकार, यह आंकड़ा वास्तविक नहीं बल्कि अनुमानित है।

कि एफ. एस. आई. द्वारा अपनाया गया मानक त्रुटि प्रतिशत है

(5)

सही नहीं है और बहुत अधिक है;

कि उपभोग के लिए लकड़ी की कुल उपलब्धता सहित

(6)

कि सरकारी वनों से प्रति वर्ष 40-45 लाख घन मीटर से अधिक नहीं होगा;

(7)

कि से 77.74 लाख घन मीटर की संभावित उपलब्धता

हलफनामे में दिए गए टी. ओ. एफ. को कम करके आंका गया है।

64. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2006 के आदेश के अनुसार बंद आरा मिलों को लाइसेंस जारी करने की अनुमति देने के बाद, एस. एल. सी. का गठन किया गया। सी. ई. सी. की सिफारिशों पर अनुमति दी जानी थी। 18 मई 2007 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने सी. ई. सी. की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया था। 30 अप्रैल 2010 के एक अन्य आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने अतिरिक्त लकड़ी उपलब्ध होने पर अतिरिक्त लाइसेंस देने की अनुमति दी। तदनुसार, 2010 और 2015 के बीच लाइसेंस दिए गए थे। 5 अक्टूबर 2015 के बाद के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने देश में बिना लाइसेंस वाले डब्ल्यूबीआई को लाइसेंस/अनुमति देने की अनुमति दी। इस न्यायालय ने डब्ल्यू. बी. आई. के लिए एस. एल. सी. के पुनर्गठन का निर्देश दिया था। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, 2016 के दिशानिर्देश एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा जारी किए गए थे। 2016 के अनुसार

दिशानिर्देशों के अनुसार, 17 मई 2017 को उत्तर प्रदेश राज्य में एस. एल. सी. का पुनर्गठन किया गया था।

65. एस. एल. सी. पर राज्य में लकड़ी आधारित औद्योगिक इकाइयों के लिए लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करना एक कर्तव्य था। एस. एल. सी. को [2022] 19 एस. सी. आर. में एक बार प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से अध्ययन शुरू करके लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पाँच साल। 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफ. एस. आई. ने संचालन किया

सर्वेक्षण किया और मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एफ. एस. आई. की उक्त रिपोर्ट की प्रस्तावना के प्रासंगिक भाग को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

" हाल के दिनों में राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए थे।

कच्चा माल वन क्षेत्रों के बाहर से आएगा। चूंकि प्रभावी योजना और प्रबंधन के लिए टी. ओ. एफ. का सटीक मूल्यांकन आवश्यक है, इसलिए उत्तर प्रदेश वन विभाग ने एफ. एस. आई. से अनुरोध किया है कि

के आधार पर कृषि-जलवायु क्षेत्रवार मूल्यांकन करें

इन्वेंट्री के अपने नियमित पाठ्यक्रम के दौरान पहले से ही किया गया इन्वेंट्री राज्य में आयोजित। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन से अनुमानित कुल उपज 79.40 m की मात्रा के साथ 299.43 मिलियन है। सह। उत्तर प्रदेश में कुल उपज अनुमानित 7.8 लाख कम है।

यह रिपोर्ट राज्य के वन भंडारों के बाहर मौजूद बढ़ते भंडार का आकलन करती है। रिपोर्ट में जिले का भी संकेत दिया गया है।

आविष्कार किए गए जिलों के प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र में उपज और मात्रा के अनुसार, प्रजातियों के अनुसार और परिधि वर्ग के अनुसार।

मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट इसके लिए उपयोगी डेटा प्रदान करेगी।

मानक प्रदान करने के अलावा राज्य में वानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सूचित नीति और कार्यक्रम हस्तक्षेपों पर पहुंचना। गैर-वन क्षेत्र में वृक्ष फसल के लिए डेटा "।

66. सर्वेक्षण करने के बाद, एफ. एस. आई. ने पाया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में वार्षिक उत्पादन की क्षमता

77,74,521 लकड़ी के घन मीटर। सर्वेक्षण के संचालन के लिए, एफ. एस. आई. ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद से उत्तर प्रदेश राज्य के आविष्कार किए गए जिलों के लिए उपग्रह डेटा प्राप्त किया। वैज्ञानिक पद्धति का पूरा खेल लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के सभी आविष्कारित जिलों के लिए डेटा प्रोसेसिंग स्वतंत्र रूप से की गई थी। एफ. एस. आई. की रिपोर्ट के निम्नलिखित भाग का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

" उत्तर प्रदेश के सभी आविष्कारित जिलों के लिए डेटा प्रोसेसिंग स्वतंत्र रूप से की गई थी। प्रजाति के अनुसार प्रति हेक्टेयर तनों और प्रति हेक्टेयर आयतन का अनुमान लगाया गया था और प्रत्येक के नीचे खंड, रैखिक और बिखरे हुए स्तर के लिए व्यास वर्ग

जिला। अनुमानित तनों और उनकी मात्रा उत्पन्न की गई थी

प्रजाति और व्यास वर्ग के अनुसार यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य के अनुमानित तनों को मिलाकर प्रत्येक जिले के लिए प्रत्येक स्तर के पूरे ग्रामीण सी. एन. एफ. क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर तनों और प्रति हेक्टेयर आयतन को एकत्रित करके।

ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

और खंड, रैखिक और बिखरे हुए स्तर के तहत मात्राएँ। के द्वारा तीनों के तनों और आयतन के अनुमानों को एकत्रित करना।

स्तर, प्रजातियों के अनुसार तनों और मात्राओं का अनुमान और व्यास वर्ग को ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से तैयार किया गया है।

67. एफ. एस. आई. ने उत्तर प्रदेश राज्य को भी 9 में विभाजित किया था।

-बढ़ते स्टॉक और वार्षिक अनुमान उत्पन्न करने के लिए जलवायु क्षेत्र

टायल उत्पादन। जिलावार उत्पादन का अनुमान पहले लगाया गया था।

यह कहते हुए कि 77,74,521 घन मीटर लकड़ी वार्षिक क्षमता थी

कार्रवाई। उत्तरदाताओं का तर्क कि घूर्णन विधि

ओ. टी. लागू करना पूरी तरह से गलत है। पैराग्राफ को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

च कथित रिपोर्ट, जो इस प्रकार हैः

" 5.4 से लकड़ी के वार्षिक संभावित उत्पादन के अनुमान टी. ओ. एफ. (ग्रामीण)

वन की उपज कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि

स्टॉक अनुमान। उत्तर प्रदेश वन विभाग था पेड़ों की प्रजातियों की पूरी सूची प्रदान की गई जो पाए गए थे

सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश वन विभाग से कहा गया था कि 'लकड़ी' और 'गैर लकड़ी' के रूप में उपयोग की जाने वाली पेड़ प्रजातियों को इंगित करें और

निर्दिष्ट लकड़ी की प्रजातियों की आवर्तन अवधि। उत्तर प्रदेश

वन विभाग ने बताया कि उनके पास रोटेशन नहीं है

सभी प्रजातियों की अवधि और भारतीय वन सर्वेक्षण से अनुरोध किया गया कि

वार्षिक क्षमता के अनुमान के लिए उपयोग की जाने वाली उनकी आवर्तन अवधि का उपयोग करें

लकड़ी का उत्पादन। प्रजातियों को दो समूहों में व्यवस्थित किया गया है;

एक में लकड़ी के मूल्य वाली प्रजातियाँ हैं और दूसरा जिसमें कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार विश्राम शामिल है। पैदावार हुई है

नीचे दिए गए वॉन मेंटल सूत्र का उपयोग करके गणना की गई हैः

उपज = 2 जीएस/आर

कहाँ जीएसः बढ़ता स्टॉक

आरः घूर्णन अवधि

लकड़ी के मूल्य की जानकारी का उपयोग करना, स्टॉक बढ़ाना और

उपर्युक्त सूत्र में आवर्तन अवधि-प्रजातियों के अनुसार उपज गणना की गई। कृषि-जलवायु क्षेत्रवार पैदावार हुई है।

अनुलग्नक-11 में दिया गया है।

[जोर दिया गया]

68. मानक त्रुटि का निर्धारण भी उपयुक्त वैज्ञानिक विधि को लागू करके किया गया था।

69. अतः एफ. एस. आई. ने अपनी 101 पृष्ठ की रिपोर्ट को समाप्त करने और प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।

70. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एफ. एस. आई. द्वारा किया गया अनुमान एक उचित और पर्याप्त वैज्ञानिक विधि को लागू करके किया गया था। 71. हालाँकि, यह आश्चर्य की बात है कि विद्वान एनजीटी ने केवल आंकड़ों को देखकर इस तरह के वैज्ञानिक अभ्यास को दरकिनार कर दिया है

वे अनुमान से आए थे और यथार्थवादी नहीं थे। 72. एफ. एस. आई. ने "भारत में वन संसाधनों के बाहर पेड़" पर एक पेपर प्रकाशित किया है। उक्त पेपर में योगदानकर्ता हैं (1) डॉ।

सुभाष आशुतोष, महानिदेशक, एफ. एस. आई.; (2) प्रकाश लखचौरा, डी. डी. जी., एफ. आई., (3) कमल पांडे, डी. डी., एफ. आई.; (4) डॉ. सौरव घोष, परियोजना। वैज्ञानिक डी; (5) सुशीला त्रिपाठी; और (6) एच. के. त्रिपाठी। पेपर से पता चलता है कि टीओएफ मूल के लकड़ी और पैनल उत्पाद जंगलों से लकड़ी के प्रमुख विकल्प के रूप में उभरे हैं और इस प्रकार टीओएफ ने दबाव को काफी हद तक कम किया है

जंगलों से। रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में टी. ओ. एफ. की सीमा का आकलन 29.38 एम. हेक्टेयर किया गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग <आई. डी. 2 है। रिपोर्ट से आगे पता चलता है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग (एन. सी. ए., 1976) की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने सत्तर के दशक के अंत में बड़े पैमाने पर एक सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया। शोधपत्र से यह भी पता चलता है कि इन दिनों उपग्रह डेटा वर्णक्रमीय, स्थानिक, रेडियोमेट्रिक और अस्थायी संकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला में विभिन्न रिमोट सेंसिंग से उपलब्ध हैं।

कई देशों की एजेंसियां। यह आगे दर्शाता है कि डिजिटल छवि प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर के विकास में तेजी से प्रगति हुई है। इसलिए, यह अवलोकन करता है कि उचित सटीकता के साथ प्राकृतिक संसाधनों का वांछित मानचित्रण संभव है। रिपोर्ट दुनिया के विभिन्न देशों में टी. ओ. एफ. के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली को संदर्भित करती है और विभिन्न प्राधिकरणों को संदर्भित करती है। यह विभिन्न प्रकारों को संदर्भित करता है

विभिन्न अवधियों के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली; पहला 1991 से है।

2001 तक; दूसरी अवधि 2001 से 2016 तक; और तीसरी अवधि 2016 के बाद की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में महाराष्ट्र राज्य में लकड़ी की सबसे अधिक संभावित वार्षिक उपज है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य आते हैं।

73. उक्त पेपर के निष्कर्ष को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा,

जो इस प्रकार हैः

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

रिमोट सेंसिंग, उपग्रह छवि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियां उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह डेटा का प्रसंस्करण और उपलब्धता

कार्यप्रणाली बहुत सटीक और आसान है। विज्ञान की प्रगति निकट भविष्य में टी. ओ. एफ. मूल्यांकन की मौजूदा पद्धति को और परिष्कृत कर सकती है। टी. ओ. एफ. देश की तेजी से बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए लकड़ी और ईंधन लकड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। बेहतर प्रबंधन और योजना बनाकर प्रति हेक्टेयर बढ़ते स्टॉक या टी. ओ. एफ. की उपज बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। टी. ओ. एफ. पर एक अलग नीति की भी आवश्यकता है ताकि कई पारिस्थितिक लाभों, लकड़ी उत्पादन, कार्बन पृथक्करण और प्राकृतिक वनों से दबाव को दूर करने के लिए इसके विस्तार और टिकाऊ प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके।

देश के लगभग 9 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में फैले टी. ओ. एफ. महत्वपूर्ण प्राकृतिक, नवीकरणीय संसाधन हैं जो महत्वपूर्ण हैं।

कृषि पारिस्थितिकी, ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक अर्थव्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार और कच्चे माल के साथ लकड़ी आधारित उद्योगों को पोषण देने में योगदान और इस प्रकार महत्वपूर्ण उत्पादन

रोजगार। टी. ओ. एफ. देश के वन और वृक्ष आच्छादन में लगभग 38 प्रतिशत कार्बन सिंक बनाता है। टी. ओ. एफ. देश में 33 प्रतिशत वन और वृक्ष आच्छादन के राष्ट्रीय नीति लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है।

टी. ओ. एफ. के विस्तार के माध्यम से, विशेष रूप से कृषि-वानिकी में और

संवर्धित बंजर भूमि, भारत अपने कार्बन को काफी बढ़ा सकता है

एन. डी. सी. और एल. डी. एन. की अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए

2030 तक "।

74. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एफ. एस. आई. ने भी इस पर जोर दिया है कि

टी. ओ. एफ. को बढ़ावा देने की आवश्यकता। यह देखा गया है कि टी. ओ. एफ. महत्वपूर्ण प्राकृतिक, नवीकरणीय संसाधन हैं जो कृषि पारिस्थितिकी, ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक-अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

शहरी क्षेत्र में और डब्ल्यू. बी. आई. को कच्चे माल से खिलाना और इस प्रकार

उत्पन्न करें

महत्वपूर्ण रोजगार।

75. यह हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि, जब अनुमान लगाया गया था

एफ. एस. आई. द्वारा वैज्ञानिक पद्धति को लागू करके और उपग्रह डेटा के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने पर, इस तरह की रिपोर्ट को विद्वान एन. जी. टी. द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता था।

76. जहाँ तक विद्वान एन. जी. टी. के निष्कर्ष का संबंध है कि सर्वेक्षण भी

प्रतिबंधित पेड़ों को ध्यान में रखते हुए, जिनकी कटाई की अनुमति नहीं है, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 7 जनवरी 2020 की अधिसूचना में प्रावधान है कि प्रतिबंधित पेड़ों को 31 दिसंबर 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नहीं काटा जाएगा, जैसे कि जब कोई पेड़ मर जाता है या मर जाता है या यह व्यक्तियों या संपत्ति के लिए खतरा पैदा करता है, या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य को निष्पादित करने के लिए इसकी कटाई आवश्यक है, या यदि ऐसे पेड़ की फल देने की क्षमता में काफी कमी आई है। ऐसे पेड़ों को तब तक नहीं काटा जा सकता जब तक कि ऐसे पेड़ को गिराने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लिखित रूप में प्राप्त नहीं की गई हो। पेड़ मालिकों को काटे गए प्रत्येक पेड़ के स्थान पर 10 पेड़ों का रखरखाव करना भी आवश्यक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निषिद्ध श्रेणी में आने वाले पेड़ों को काटने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, यह केवल अपवादात्मक स्थिति में ही किया जा सकता है।

परिस्थितियाँ।

77. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निषिद्ध पेड़ों में ऐसे पेड़ भी शामिल हैं जैसे

आम, जामुन आदि जो फल देने वाले पेड़ हैं। कुछ वर्षों के बाद ऐसे पेड़ों की फल देने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। कम हो जाता है और इस तरह, किसान आम तौर पर ऐसे पेड़ों को काटते हैं और बगीचे की पुनः रोपण के लिए जाते हैं। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि सी. ई. सी. ने स्वयं 19 अप्रैल 2007 की अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए लकड़ी की उपलब्धता को मंजूरी दी थी, जिसमें 1 लाख घन मीटर प्रतिबंधित पेड़ शामिल थे। सी. ई. सी. की उक्त रिपोर्ट को इस न्यायालय द्वारा 18 मई 2007 के अपने आदेश के माध्यम से मंजूरी दी गई थी।

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

78. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 28 मार्च 2019 के विद्वान एनजीटी के आदेश के अनुसरण में, विशेषज्ञों की एक समिति [संयुक्त

प्रधान सचिव (वन), उत्तर प्रदेश और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि वाली समिति ने 3 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केवल यही नहीं, बल्कि निर्देशों का पालन करते हुए विद्वान एनजीटी द्वारा 18 दिसंबर 2019 को जारी किया गया, राज्य सरकार की ओर से 21 जनवरी 2020 को एक और विस्तृत हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें लकड़ी की उपलब्धता के बारे में विवरण दिया गया था। उक्त हलफनामे में विशेष रूप से कहा गया था कि नीलगिरी और पोप्लर टीओएफ की मुख्य प्रजातियां हैं और 80 प्रतिशत लकड़ी वहीं से प्राप्त होती है। यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और वे अपनी उपज को मुख्य रूप से बिचौलियों को बहुत सस्ती दर पर बेचने के लिए मजबूर हैं। यह भी बताया गया कि नए डब्ल्यूबीआई की स्थापना के साथ राज्य में लगभग Rs.3000 करोड़ का अपेक्षित निवेश होगा। वही अधिक रोजगार देगा

80, 000 से अधिक लोग, ज्यादातर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में। हालाँकि, इन सभी कारकों को एनजीटी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। 79. इस प्रकार, विद्वान एनजीटी ने प्रतिबंधित पेड़ों से लकड़ी की उपलब्धता को कम करने में घोर गलती की है। अब तक, यह तय हो चुका है कि न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में हो। एफ. एस. आई., जो निर्विवाद रूप से एक विशेषज्ञ निकाय है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपने अनुमान पर पहुंचा था। विद्वान एनजीटी विशेषज्ञ की राय पर अपील में नहीं बैठ सकता था।

80. यह ध्यान देने योग्य है कि एम. ओ. ई. एफ. सी. सी, के अनुसरण में

विद्वान एनजीटी द्वारा जारी किए गए निर्देशों ने 18 तारीख को अपनी राय दर्ज की थी दिसंबर 2019। उक्त राय के अनुच्छेद 8 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

" 8. लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2016 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के आधार पर, एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. की राय है कि यू. पी. राज्य ने लकड़ी आधारित उद्योगों का पालन किया है।

(एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा जारी स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 (2017 में संशोधित)। राज्य में लकड़ी की उपलब्धता का आकलन भी एस. एल. सी. द्वारा एफ. एस. आई. के माध्यम से किया गया है। अतः मंत्रालय का विचार है कि एस. एल. सी. की स्थापना को मंजूरी दी जा सकती है।

राज्य में नए उद्योग यदि यह संतुष्ट हो कि नए लकड़ी आधारित उद्योगों को चलाने के लिए कानूनी रूप से पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध है।

81. विद्वान एनजीटी इस पर विचार करने में विफल रहा है

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. का रुख, जिसने राज्य के इस रुख का भी समर्थन किया कि नए डब्ल्यू. बी. आई. एस. को चलाने के लिए कानूनी रूप से पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध थी।

82. जहाँ तक विद्वान वकील के तर्क का संबंध है

उत्तरदाताओं ने कहा कि हालांकि 4 मई 2018 की एस. एल. सी. की बैठक में आई. पी. आई. आर. टी. आई. द्वारा मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन एस. एल. सी. ने 7 सितंबर 2018 की अपनी बैठक में आई. पी. आई. आर. टी. आई. से मूल्यांकन नहीं कराने का निर्णय लिया, 7 सितंबर 2018 की एस. एल. सी. की बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन से पता चलेगा कि आई. पी. आई. आर. टी. आई. ने किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न डब्ल्यू. बी. आई. द्वारा लकड़ी की खपत का कोई नया अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया था। यह देखा गया कि, एफ. एस. आई. की रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध टी. ओ. एफ. 77,74,522 घन मीटर था। 2,57,273 घन मीटर के वन क्षेत्र में उपलब्ध लकड़ी को जोड़ते हुए, लकड़ी की उपलब्धता की कुल मात्रा थी

80,31,795 घन मीटर। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एस. एल. सी. ने निदेशक, आई. पी. आई. आर. टी. आई. द्वारा 29 अगस्त 2018 को जारी पत्र पर ध्यान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आई. पी. आई. आर. टी. आई. द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान देश के किसी भी राज्य में लिबास और प्लाईवुड उद्योगों द्वारा लकड़ी की वार्षिक खपत से संबंधित कोई आकलन नहीं किया गया था। यह.

आई. पी. आई. आर. टी. आई. की रिपोर्ट के आधार पर डब्ल्यू. बी. आई. द्वारा लकड़ी की खपत के लिए प्रदान किए गए 2016 के दिशानिर्देशों का फिर से कोई उद्देश्य नहीं था आई. पी. आई. आर. टी. आई. द्वारा मूल्यांकन करवाएँ। टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ 'के मामले में इस अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे को संक्षिप्त रूप से समझाया गया है, जिसका लगातार कई मामलों में पालन किया गया है। उक्त मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 77. न्यायालय का कर्तव्य वैधता के प्रश्न तक ही सीमित रहना है। इसकी चिंता इस प्रकार होनी चाहिएः

1 .

क्या कोई निर्णय लेने का अधिकार उसके अधिकार से अधिक है

शक्तियाँ?

7 (1994) 6 एस. सी. सी. 651 यू. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य। ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

कानून की गलती की,

2 .

प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया,

3 .

एक निर्णय पर पहुंचे जो कोई उचित न्यायाधिकरण नहीं है

4 .

पहुँच गया होगा या, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।

5 .

इसलिए, यह निर्धारित करना अदालत का काम नहीं है कि उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष नीति या विशेष निर्णय उचित है या नहीं। यह केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें वे निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा अलग-अलग होगी एक मामले से दूसरे मामले में। संक्षेप में कहें तो जिन आधारों पर

प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण के अधीन है

निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाए:

((i) अवैधताः इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और

उस पर प्रभाव डालना चाहिए।

((ii) अतार्किकता, अर्थात् वेड्सबरी अतार्किकता।

((iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। समय के साथ और आधार जोड़ना। वास्तव में,

आर. वी. में गृह विभाग के लिए राज्य सचिव, पूर्व

ब्रिंड [(1991) 1 एसी 696], लॉर्ड डिप्लॉक विशेष रूप से एक विकास को संदर्भित करता है, अर्थात्, आनुपातिकता के सिद्धांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में स्वीकार की जाने वाली कसौटी यह है कि अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कुछ गलत हुआ है।

प्रकृति और डिग्री जिसके लिए इसके हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। "

84. वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया है या तो

अवैधता, तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अनुचितता का लेखा।

85. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता के इस तर्क के संबंध में कि 2016 के दिशानिर्देशों के अनुलग्नक I में

प्लाईवुड इकाई की लकड़ी की आवश्यकता को "एन. आई. एल". के रूप में लिया जाना सी. ई. सी. की सिफारिशों के विपरीत है, हम उक्त प्रस्तुति में कोई सार नहीं पाते हैं। सबसे पहले, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2015 को जारी निर्देशों के अनुसरण में एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा 2016 के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी हो, प्लाईवुड उद्योगों के लिए कच्चा माल [2022] 19 एस. सी. आर. है।

' लिबास 'और लिबास के लिए कच्चा माल' लकड़ी 'है। हम अपीलार्थियों के तर्क में सार पाते हैं कि यदि लकड़ी को फिर से प्लाईवुड के लिए कच्चे माल के रूप में माना जाता है, तो यह एक ही लकड़ी की खपत को एक से अधिक बार दिखाने के बराबर होगा, जो वास्तव में खपत नहीं है। यह विवाद में नहीं है कि लिबास प्लाईवुड के लिए एक कच्चा माल है, जो लकड़ी से प्राप्त होता है। उसी लकड़ी का उपयोग लिबास प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ऐसे लिबास, जिसका उपयोग प्लाईवुड के निर्माण के लिए किया जाता है, को दो बार नहीं गिना जा सकता है। किसी भी मामले में, जब तक इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में जारी किए गए 2016 के दिशानिर्देशों को दरकिनार नहीं किया जाता है, तब तक उस संबंध में विवाद आधारहीन है।

86. यह हमें उत्तरदाताओं के इस तर्क पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि इस न्यायालय ने बार-बार स्थायी के सिद्धांतों पर जोर दिया है।

विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना इस पीढ़ी का कर्तव्य है।

निष्कर्ष

87. यह विवादित नहीं है कि एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 20 स्वयं विद्वान न्यायाधिकरण को स्थायी के सिद्धांतों को लागू करने का निर्देश देती है।

विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। निर्विवाद रूप से देश के वनों की रक्षा करना राज्य के साथ-साथ उसके नागरिकों का भी कर्तव्य है। वर्तमान के संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना है। लेकिन एक सिद्धांत को दूसरे से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता है।

88. यह आवश्यक है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए, आवश्यकता

सतत विकास के लिए भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और दोनों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।

89. इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले एक निकाय, यानी एफ. एस. आई. ने एक वैज्ञानिक अध्ययन पर निष्कर्ष निकाला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, उत्तरदाताओं ने स्वयं "उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड और खैर (कट्टा) उद्योगों द्वारा उत्तर प्रदेश वनों के माध्यम से प्राप्त कच्चे माल के प्रतिशत और मूल्य को जानने के लिए अध्ययन" पर एक परियोजना रिपोर्ट दर्ज की है। उक्त रिपोर्ट तैयार की जाती है -

उत्तर प्रदेश सरकार के योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के निर्देशों पर आर. ए. के. प्रबंधन सलाहकार। उक्त रिपोर्ट से ही पता चलता है कि सलाहकारों ने क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्लाईवुड निर्माताओं द स्टेट ऑफ यू. पी. एंड ओ. आर. एस. के बीच नाराजगी देखी।

ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

राज्य द्वारा डब्ल्यू. बी. आई. को नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के खिलाफ सरकार।

90. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से नीलगिरी और लोकप्रिय लकड़ी के औसतन 1500 ट्रक/ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ जाते हैं।

यमुना नगर, हरियाणा दैनिक। उक्त ट्रकों/ट्रॉलियों में से प्रतिदिन लगभग 300-350 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और कुछ अन्य छोटे वाहन उत्तर प्रदेश से आते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि यमुना नगर को प्रति वर्ष लगभग 5 से 6 लाख मीट्रिक टन लकड़ी का निर्यात किया जाता है। उक्त सामग्री उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत और मेरठ की है। यह कहा गया है कि उक्त क्षेत्र में इस उपज के लिए पर्याप्त बाजार नहीं है। रिपोर्ट में आगे पाया गया है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और शामली आदि में ऐसा नहीं है। पर्याप्त संख्या में प्लाईवुड और लिबास इकाइयाँ और इस प्रकार, वे उक्त क्षेत्र में उपलब्ध पूरे किसानों की उपज के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट से ही पता चलता है कि पश्चिमी जिलों को लगभग 80-85 प्लाईवुड और लिबास इकाइयों की आवश्यकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एफ. एस. आई. द्वारा किए गए मूल्यांकन को लेकर पहले से मौजूद उद्योगपतियों में असंतोष है।

राज्य में लगभग 1 करोड़ रुपये के निवेश के आकर्षित होने की संभावना है; 80,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य के किसानों को अधिक लाभकारी मूल्य मिलेगा। यह होगा इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है। राज्य ने इस बात पर भी जोर दिया कि इससे पारंपरिक/नकदी फसलों पर निर्भरता कम होगी और शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन भी कम होगा। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि यदि नए डब्ल्यूबीआई की अनुमति दी जाती है, तो यह डब्ल्यूबीआई के उत्पादों के आयात को कम कर देगा। हालाँकि, विद्वान एनजीटी द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है।

विलो अवधिः 2012-2015 ' . रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉप्लर और विलो की लकड़ी जीवंत प्लाईवुड, बोर्ड, माचिस, कागज और खेल के सामान उद्योगों की रीढ़ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारतीय कृषि वानिकी नीति 2014 के साथ, पोप्लर के रोपण को बढ़ावा दिया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि भारत के योजना आयोग के पास [2022] 19 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कृषि के विविधीकरण के लिए कुछ राज्यों को विशेष अनुदान दिया जाता है जहां किसानों को कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए धान की खेती से दूर रहने की सलाह दी जाती है। पोप्लर और नीलगिरी उन कुछ पेड़ों में से हैं जिन्हें इस विविधीकरण योजना के तहत बढ़ावा दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोप्लर कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल की कई श्रेणियों के लिए रोजगार पैदा करके ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कर्मचारी।

93. "भारत में वन संसाधनों के बाहर पेड़" पर पेपर

एफ. एस. आई. द्वारा प्रकाशित, ऊपर उद्धृत, इस बात पर भी जोर देता है कि टी. ओ. एफ. महत्वपूर्ण प्राकृतिक, नवीकरणीय संसाधन हैं जो कृषि पारिस्थितिकी, ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक सुधार, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार और डब्ल्यू. बी. आई. को कच्चे माल से खिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इस प्रकार महत्वपूर्ण रोजगार पैदा करते हैं। टी. ओ. एफ. देश के वनों और पेड़ों के आवरण में लगभग 38 प्रतिशत कार्बन सिंक बनाता है। इसमें कहा गया है कि टी. ओ. एफ. देश में 33 प्रतिशत वन और वृक्ष आच्छादन के राष्ट्रीय नीति लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि टी. ओ. एफ. के विस्तार के माध्यम से, विशेष रूप से कृषि-वानिकी और संवर्धित करने योग्य बंजर भूमि पर, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्बन सिंक को काफी बढ़ा सकता है।

2030 तक एन. डी. सी. और एल. डी. एन. की प्रतिबद्धताएँ।

94. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, अधिकांश टी. ओ. एफ. दो प्रजातियों, यानी पॉप्लर और यूकेलिप्टस से है। ये पेड़ तेज़ हैं।

बढ़ता जा रहा है। यदि उक्त पेड़ों के लिए एक बाजार उपलब्ध है, तो किसानों को बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इन प्रजातियों में घूर्णन काफी तेज है। यह बदले में हरित क्षेत्र को बढ़ाएगा। हमारा विचार है कि विद्वान एनजीटी ने एक तरफा दृष्टिकोण अपनाया है। यह राज्य द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखने में विफल रहा है। विद्वान एनजीटी ने विशेषज्ञ की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने और उसी पर अपील करने में पेटेंट त्रुटि की है। विद्वान एनजीटी ने भी

एमओईएफसीसी द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखने में विफल रहा, जिसने राज्य के रुख का समर्थन किया। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, राज्य ने नए लाइसेंस देने के कई लाभों पर जोर दिया था।

डब्ल्यूबीआई। इस बात पर भी जोर दिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य से लकड़ी का हरियाणा राज्य को निर्यात किया जा रहा है। हालाँकि, इनमें से किसी भी पहलू पर एनजीटी द्वारा विचार नहीं किया गया है। हम हैं, इसलिए, इस सुविचारित दृष्टिकोण से कि विद्वान एन. जी. टी. के विवादित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं।

95. एक और कारण है, हमारे विचार में, क्यों विद्वान एन. जी. टी. का आदेश टिकाऊ नहीं होगा। हालाँकि, उस तारीख को जिस दिन यू. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य।

ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया गया था, 1215 अस्थायी लाइसेंस पहले ही दिए जा चुके थे और 633 इकाइयों को पहले ही स्थापित किया जा चुका था और उत्पादन शुरू कर दिया गया था, विद्वान एनजीटी ने विवादित आदेश पारित किया है जो उनके हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। या तो ऐसे कुछ उद्योगों को उनकी प्रतिनिधि क्षमता में शामिल किया जाना चाहिए था या एक सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए थी ताकि ऐसे लाइसेंस धारक अपने मामले का प्रतिनिधित्व कर सकें। तथापि, विद्वत एन. जी. टी. द्वारा उक्त तर्क को हल्के में दरकिनार करते हुए कहा गया है कि चूंकि यह मुद्दा राज्य के सामान्य निर्णय से संबंधित है जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।

प्रस्तावित अस्थायी लाइसेंसधारियों के लिए, अभियोग आवेदनों में उठाए गए मुद्दे पर विचार करना आवश्यक नहीं है। यह एक स्थापित कानून से कहीं अधिक है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक कार्रवाई तब की जाती है जब इस तरह की कार्रवाई नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जब विद्वान एनजीटी ने अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया, तो यह

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिसका एनजीटी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत भी पालन करना अनिवार्य है।

96. एक अन्य पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि इस संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा एनजीटी के समक्ष एक गंभीर मुद्दा उठाया गया था मूल आवेदकों की साख और प्रामाणिकता के लिए।

97. जब हमने मामले की सुनवाई की, तो हमने भी श्री मेहता और श्री चाहर से एनजीटी के समक्ष आवेदकों की साख के संबंध में उचित प्रश्न किए। एक आवेदक उदय एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट है। दूसरा आवेदक संवित फाउंडेशन है और तीसरा आवेदक यू. पी. टिम्बर एसोसिएशन है। निर्विवाद रूप से, यू. पी. टिम्बर एसोसिएशन मुकदमेबाजी में रुचि रखने वाला एक वादी था। हालांकि, अन्य मूल आवेदकों के रूप में, अर्थात। उदय एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और संवित फाउंडेशन, जिनके लिए श्री ध्रुव मेहता और श्री बृजेन्द्र चाहर, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हो रहे हैं, उक्त मूल आवेदकों द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट प्रश्न किए गए कि क्या वे पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में किसी भी गतिविधि में शामिल थे; क्या वे कम से कम वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में लगे हुए थे; उक्त मूल के उद्देश्य और उद्देश्य क्या थे।

आवेदक; और धन के स्रोत क्या हैं, आदि। श्री मेहता और श्री चाहर, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने (मूल आवेदक) पहले कुछ जनहित याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें उनके पक्ष में आदेश पारित किए गए थे, उनके पास कोई अन्य जानकारी नहीं थी। 98. श्री ध्रुव मेहता, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंकिता सिन्हा और अन्य [2022] 19 एस. सी. आर. के मामले में इस अदालत के फैसले पर सही भरोसा किया है।

(उपर्युक्त) यह प्रस्तुत करना कि विद्वान एन. जी. टी. को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विद्वत एन. जी. टी. के कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसकी तुलना अन्य न्यायाधिकरणों के साथ नहीं की जा सकती है और पर्यावरण मामलों में, इसके पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति भी होगी। हालाँकि, जब विद्वान एनजीटी से संपर्क करने वाले वादी की साख और प्रामाणिकता को गंभीरता से उठाया जाता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

99. हम पाते हैं कि इससे पहले कि एक वादी को न्याय के दरवाजे खटखटाने और ऐसे आदेशों की मांग करने की अनुमति दी जाए जिनके दूरगामी प्रभाव हैं।

हजारों लोगों को रोजगार देना, राज्य में निवेश रोकना, किसानों के हितों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करना; आवेदकों की साख और प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि मुकदमा मौजूदा डब्ल्यूबीआई के कहने पर हो सकता है जो प्रतिस्पर्धा से बचना चाहते थे और सस्ती दर पर कच्चा माल प्राप्त करना जारी रखना चाहते थे। यह भी अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि यह हरियाणा के यमुना नगर जिले में डब्ल्यूबीआई के कहने पर हो सकता है जहां उत्तर प्रदेश राज्य से लाखों टन लकड़ी का निर्यात किया जाता है। यह अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि यह उन बिचौलियों के हित में हो सकता है जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा को लकड़ी के निर्यात में लगे हुए हैं। इसलिए, हम केवल एनजीटी से अनुरोध करेंगे कि जब ऐसे वादियों की साख और प्रामाणिकता को गंभीरता से उठाया जाए और जब ऐसे वादियों की शिकायत पर विचार किया जाए, जो कई लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है, तो उसे ऐसे वादियों की प्रामाणिकता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिए।

100. हालाँकि हम अपीलों की अनुमति दे रहे हैं, विद्वान एनजीटी के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं, और राज्य सरकार की कार्रवाई को बरकरार रख रहे हैं।

लाइसेंस देते हुए हम राज्य और उसके अधिकारियों को याद दिलाना चाहेंगे कि पर्यावरण की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। राज्य और उसके अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटते वन और वृक्ष आच्छादन की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। राज्य और उसके अधिकारियों को हरित आवरण सुनिश्चित करने के लिए सार्थक और ठोस प्रयास करने चाहिए

उत्तर प्रदेश राज्य में कम नहीं किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बढ़े।

101. पारिस्थितिकी को बनाए रखने में वनों का संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जल चक्र और मिट्टी के संसाधक के रूप में और आजीविका प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार, संरक्षण और टिकाऊ

वनों के प्रबंधन को निर्माण में उचित महत्व दिया जाना चाहिए। राज्य की नीतियाँ। इस संबंध में, इस न्यायालय की कुछ पूर्व घोषणाओं का उल्लेख करना उचित होगा।

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

(क) समता बनाम के मामले में। ए. पी. राज्य और Ors.³, एच. पी. राज्य और अन्य बनाम के मामले में पहले के फैसले का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। गणेश वुड प्रोडक्ट्स और अन्य ने देखा कि, अनुदान पर विचार करते हुए भी

खनन पट्टों का नवीनीकरण, वन के प्रावधान

(संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू होंगे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वनों को प्रभावित करने वाले खनन कार्यों को रोकना एम. ओ. ई. एफ. और सभी राज्यों का कर्तव्य है। इसने आगे कहा कि, चाहे खनन कार्य आरक्षित वन या अन्य वन क्षेत्र के भीतर किए जाएं, यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि उद्योग या उद्यम वन को मानव अस्तित्व के लिए खतरा न बनाए और न ही वनस्पतियों और जीवों और जैव विविधता को नष्ट करने का स्रोत बने। यह भी माना गया है कि यदि वनों के अस्तित्व को बाधित करना अपरिहार्य हो जाता है, तो राज्य पर एक संगत कर्तव्य है कि वह वनों को फिर से बनाए और हरित आवरण को बहाल करे और मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों के साथ-साथ जैव विविधता को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और सुधारने के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करे। इसने आगे कहा कि सरकारी वनों और निजी वनों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।

राष्ट्र की वन संपदा और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मामले में।

(ख) एस्सार ऑयल लिमिटेड बनाम हलार उत्कर्ष समिति और

अन्य 0, इस न्यायालय ने एक ओर आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं और विकास और दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी विचारों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा की। यह देखा गया कि पर्यावरण पर कानून दोनों के बीच सद्भाव पैदा करने के लिए होने चाहिए क्योंकि दोनों में से किसी एक की बलि दूसरे की वेदी पर नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में, भारतीय के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ

एनविरो परिषद-कानूनी कार्रवाई बनाम भारत संघ और

अन्य 1 1 को नीचे उद्धृत किया गया हैः

" जबकि पारिस्थितिकी की कीमत पर या व्यापक रूप से आर्थिक विकास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पर्यावरण विनाश और उल्लंघन; साथ ही, पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

997 एससी 3297 = (1997) 8 एससीसी 191

5) 6 एस. सी. सी. 363 -4) 2 एस. सी. सी. 392

आर्थिक और अन्य विकास में बाधा डालना। विकास और पर्यावरण दोनों साथ-साथ चलना चाहिए, दूसरे शब्दों में, पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए।

(ग) महाराष्ट्र भूमि विकास निगम के मामले में

और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1 2 संदर्भ ग्लैनरॉक एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिल राज्य को बनाया गया था

नाडू 1 3 13 जिसमें इसे निम्नानुसार मनाया गया थाः

" 27. ..... भारत में वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे राष्ट्रीय संपत्ति का गठन करते हैं। इस न्यायालय की वन पीठ द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में

टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम में न्यायालय। संघ का

28. अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी क्या है? वर्तमान पीढ़ी अगली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण देकर अगली पीढ़ी के प्रति जवाबदेह है। हम जवाबदेह हैं। अगली पीढ़ी के लिए और अगर वनों की कटाई तेजी से होती है

तब अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी का उल्लंघन होगा।

29. सतत विकास का सिद्धांत भी संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। एहतियात

सिद्धांत 'और' प्रदूषक भुगतान सिद्धांत 'मूल से प्रवाहित होता है

अनुच्छेद 21 में मूल्य।

30. ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में हम राज्य में वनों के निहित होने के बारे में चिंतित हैं। कब

हम अंतर-पीढ़ीगत समानता और टिकाऊ के बारे में बात करते हैं

विकास, हम समानता के एक सामान्य सिद्धांत को ऊपर उठा रहे हैं

व्यापक सिद्धांत के स्तर तक "।

और अन्य 1 जिसमें इस न्यायालय ने की परिभाषा का प्रतिपादन किया है " वन "निम्नलिखित शब्दों में:

" 4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को आगे वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिकीय नुकसान होता है।

0) 10 एससीसी 96

1997 एस. सी. 1228 यू. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य। ईटीसी। ई. टी. सी वी. उदय शिक्षा और कल्याण विश्वास और और और। ईटीसी। ईटीसी। [बी. आर. गवई, जे.]

असंतुलन; और इसलिए, वनों के संरक्षण के लिए और उनसे जुड़े मामलों के लिए उसमें किए गए प्रावधान, स्वामित्व या वर्गीकरण की प्रकृति के बावजूद सभी वनों पर लागू होने चाहिए। "वन" शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इस विवरण में सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हैं, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (i) के उद्देश्य के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों। धारा 2 में आने वाले "वन भूमि" शब्द में न केवल "वन" शामिल होगा जैसा कि शब्दकोश के अर्थ में समझा गया है। लेकिन
स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र। इसे इस तरह से समझना चाहिए।

अधिनियम की धारा 2 के प्रयोजन के लिए। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में वनों के संरक्षण के लिए अधिनियमित प्रावधान और उससे जुड़े मामलों को स्वामित्व या वर्गीकरण के बावजूद सभी वनों पर स्पष्ट रूप से लागू होना चाहिए।
वहाँ से "।

102. यद्यपि हम पाते हैं कि राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के कारण, लाइसेंस देने की मंजूरी जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार राज्य के रूप में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विधिवत ध्यान दिया जाए। इसलिए, हम राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि निषिद्ध प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय, उसे सख्ती से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमति केवल तभी दी जाए जब 7 जनवरी 2020 की अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाएं। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जब आवेदकों को ऐसी अनुमति दी जाए, तो आवेदक 1 के बदले 10 पेड़ लगाने और उन्हें पांच साल तक बनाए रखने की उक्त अधिसूचना में दिए गए आदेश का ईमानदारी से पालन करें। 103. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित विवादित आदेश

2019 के मूल आवेदन Nos.313,335 और 396 के साथ-साथ समीक्षा आवेदनों में दिल्ली को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।

104. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा। कोई लागत नहीं।

निधि जैन और अनुराग भास्कर

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)